न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 119/2003
आरसीएमएस नं. :–2003/00094

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
––अपीलार्थी

बनाम

1. नारायण चन्द पुत्र छोगमल –फौत
   1/1 राधेश्याम
   1/2 शिवकुमार
   1/3 ताराचन्द
   1/4 पवनकुमार
   } जाति महाजन नि0 अनूपशहर तहसील भादरा
2. ग्राम पंचायत अनूपशहर जरिये सरपंच. ग्राम पंचायत अनूपशहर तहसील भादरा।
   –– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 27.09.2002 क्रमांक 03./2002 अनवान नारायण बनाम ग्राम पंचायत

उपस्थितिः–
राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 10.X1.22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा गांव अनूपशहर तहसील भादरा की रोही में स्थित ख. नं. 719 की 11 किला गैर मुमकिन पायतन की बजाय प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये हैं, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।
3. रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। इसलिए राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गैर मु0 जोहड़ पायतन नाकाबिल काश्त है जिसे आवंटित नहीं किया जा सकता है। प्रश्गनत भूमि पर रेस्पोडेण्ट का संवत 2011 से कब्जा काश्त नहीं है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय में जिरह का मौका नहीं दिया गया ना ही वाद में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। रेस्पोडेण्ट ने वाद पत्र बिना धारा 80 जाब्ता दीवानी के तहत नोटिस दिये पेश किया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अपील में ग्राम पंचायत अनुपशहर पटवार हल्का अनूपशहर की जमाबंदी खतौनी संवत 2055 से 58 प्रस्तुत हुई है। इस जमाबंदी खतौनी में प्रश्गनत ख0 नं0 219 की 11 बीघा भूमि गैरमुमकिन पायतन दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रिकार्ड में गैर मुमकिन पायतन दर्ज है। गैरमुमकिन पायतन भूमि के किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी ये प्रतिबंधित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2002 निररस्त किया जाता है। तहसीलदार भादरा प्रश्नगत भूमि को बहक सरकार लेकर रेस्पोडेण्ट को बेदखल कर इस न्यायालय को 7 दिवस में सूचित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 10.X1.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.X1.22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ